



सत्यमेव जयते

# भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

**National Highways Authority of India**

(Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बीकानेर, सी-38, सादुलगंज,

बीकानेर (राजस्थान)- 334002

Project Implementation Unit- Bikaner, C-38, Sadulganj,

Bikaner (Rajasthan) - 334002, फ़ोन / Tel.: 0151-2224477

ई-मेल : bikaner@nhai.org, nhaibikaner@gmail.com



“सड़कें ही नहीं, राष्ट्र का निर्माण भी”

क्रमांक : 16003/1/2017/Forest BM-10/2024-25/778

दिनांक 19.07.2024

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं  
नोडल आफिसर (एफसीए),  
राजस्थान, जयपुर

विषय : Diversion of 11.8259 Ha forest land for upgradation to 2 lane with paved shoulder /4 lane of Khajuwala Poogal Section of NH-911 under Bharatmala Pariyojna in the State of Rajasthan on Hybrid Annuity Mode  
Proposal No. FP/RJ/ROAD/41036/2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रकरण में जिला कलक्टर बीकानेर द्वारा उनके पत्रांक 3130 दिनांक 16.07.2024 द्वारा शेष 3.7974 हैक्टेयर क्षेत्र का एफआरए प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है जिसकी प्रति संलग्न है।

प्रकरण में अंकित उल्लंघन के क्रम में उप वन संरक्षक छतरगढ़ एवं बीकानेर द्वारा अंकित टिप्पणी के क्रम में निम्नानुसार निवेदन है :-

उपवन संरक्षक छतरगढ़ द्वारा 0.5665 हैक्टेयर का उल्लंघन दर्शाते हुए एफ.आर.संख्या 102/19 दिनांक 20.05.2020 रामेश्वर लाल एवं जी.आर. इन्फ्रा के नाम से जारी करते हुए घटना का स्थान 3डीसीओएल अंकित किया गया है तथा रुपये 25000/- जुर्माना वसूल कर प्रकरण समाप्त किया गया है। यहाँ अंकित घटना का स्थान 3डीसीओएल एवं एजेन्सी जी.आर. इन्फ्रा इस परियोजना से सम्बन्धित नहीं है। किसी अन्य स्थान पर हुई घटना का उल्लेख इस परियोजना के प्रस्ताव के भाग-2 में उल्लंघन के रूप में कर दिया गया है जो उचित नहीं है। फिर भी उपवन संरक्षक छतरगढ़ की मांग पर पेनल एन.पी.वी की राशि रुपये 49625/- जमा करवा दी गयी है। इस परियोजना के उपवन संरक्षक छतरगढ़ के क्षेत्र में कोई उल्लंघन रिपोर्ट नहीं है।

उपवन संरक्षक बीकानेर से सम्बन्धित उल्लंघन के क्रम में निवेदन है कि उपवन संरक्षक बीकानेर द्वारा प्रस्ताव के संलग्न उल्लंघन रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि “0.05 हैक्टेयर वन भूमि में सहवन से सड़क निर्माण का कार्य यूजर एजेन्सी द्वारा करवाया गया है जो नगण्य मात्र है।” प्रकरण में वन विभाग द्वारा अलग अलग 04 एफ.आई.आर. निजी व्यक्तियों के नाम से जारी की गयी है जो रुपये 1,39,000/- जुर्माना वसूल कर निस्तारित की जा चुकी है। उपवन संरक्षक बीकानेर की मांग पर पेनल एन.पी.वी की राशि रुपये 4380/- जमा करवा दी गयी है।

प्रकरण में मात्र 0.05 हैक्टेयर क्षेत्र का उल्लंघन पाया गया है जिसके लिए भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 29.01.2018 में दिये गये निर्देशानुसार प्रकरण में पेनल एन.पी.वी. की राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा राज्य के राजस्थान वन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार निवेदन है कि प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी करवाने की कृपा करें।

संलग्न : एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- (1) अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल ऑफिसर, अरण्य भवन, झालाना इन्टीट्यूशन एरिया, जयपुर।
- (2) क्षेत्रीय अधिकारी, भाराराप्रा, जयपुर।
- (3) संभागीय मुख्य वन संरक्षक बीकानेर।
- (4) उपवन संरक्षक इगानप स्टेज द्वितीय बीकानेर।
- (5) उपवन संरक्षक इगानप स्टेज प्रथम छतरगढ़।
- (6) श्री आर.पी.गुप्ता, संयुक्त सलाहाकार (पौधारोपण) क्षेत्रीय कार्यालय भाराराप्रा जयपुर।

प्रतिलिपि जिला कलक्टर बीकानेर को इस कार्यालय के संदर्भित पत्र संख्या 761 दिनांक 11.07.2024 के संदर्भ में।

भवदीय

*पि.एल.डव.श*

परियोजना निदेशक/Project Director  
भाराराप्रा प.का.ई. बीकानेर/NHAI, PIU, Bikaner

(for linear projects)

Government of Rajasthan

## Office of the District Collector, Bikaner

No. F.8-1( ) Revenue/Forest/Diversion/14/ 3130

Dated- 16/7/2021

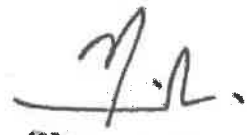
TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3.7974 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PD-PIU Bikaner, National Highways Authority of India for Selected state road stretches for 2 Two/Four laning with paved shoulder of NII Configuration under Bhart Mala Scheme from Poogal - Aladin K Bera - Berivawala and Poogal - Barasalpur - Ranjitpura - Charanwala - Naukh - Bap (Package - 10). falls within jurisdiction of Poogal, Khajuwala and Bajju tehsils District Bikaner.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.7974 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure B
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed.
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: AS above

  
(Namrata Vrishni)  
District Collector, Bikaner

Dated-

No. F.8-1( ) Revenue/Forest/Diversion/14/  
Copy forwarded to :

1. DFO (Territorial), Chhattargarh
2. DFO (Territorial), Bikaner
3. DFO (Stage-II), Bikaner

/  
Add. District Collector  
(Adm.), Bikaner